बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संख्या–8/आ0(राज0नि0)–1–108/2021–3713...../श्री मणिरंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जब्ती सूची एवं अन्य कागजात के अनुसार कुल 64,24,621/–(चौसठ लाख चौबीस हजार छः सौ इक्कीस) रूपये नगद एवं 16,62,460/–(सोलह लाख बासठ हजार चार सौ साठ) रूपये के सोने एवं चाँदी के जेवरात बरामद किया गया तथा 1,87,46,986/–(एक करोड़ सत्तासी लाख छियालीस हजार नौ सौ छियासी) रूपये की चल–अचल सम्पत्ति आकलित की गयी। इस प्रकार श्री मणिरंजन के विरूद्ध 1,62,36,926/–(एक करोड़ बासठ लाख छत्तीस हजार नौ सौ छब्बीस) रूपये के अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–12 r/w 13(1)(b) r/w 13(2) एवं आई.पी.सी. की धारा–120 (बी0) के अधीन प्राथमिकी सं0–06/2021 दिनांक–16.12.2021 दर्ज किया गया है।

उक्त मामले में विभागीय अधिसूचना सं0–4986 दिनांक–18.12.2021 के द्वारा श्री मणिरंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय ज्ञापांक–810 दिनांक–08.02.2022 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

श्री मणिरंजन के द्वारा आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विशेष निगरानी इकाई के द्वारा आय की गणना में सिर्फ वेतन से प्राप्त आय को सम्मिलित किया गया है जबकि आय के अन्य स्त्रोत भी है। व्यय के आंकलन में स्वयं के साथ–साथ उनकी पत्नी द्वारा किये गये व्यय को भी शामिल कर लिया गया है जबकि आय की गणना में पत्नी की आय की गणना नहीं की गयी है। श्री मणिरंजन द्वारा बताया गया कि उनके स्वयं एवं पत्नी की कुल आय 3,95,90,965/–(तीन करोड़ पंचानवे लाख नब्बे हजार नौ सौ पैसठ) रूपये है जबकि कुल व्यय (पत्नी द्वारा सम्पत्ति एवं अन्य वस्तुओं पर किये गये व्यय सहित) 2,97,79,446/–(दो करोड़ संतानवे लाख उन्नासी हजार चार सौ छियालीस) रूपये लगभग है। विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा कुल सम्पत्ति 1,87,46,986/–(एक करोड़ सत्तासी लाख छियालीस हजार नौ सौ छियासी) रूपये बतायी गयी है जबकि यह राशि 3,95,90,965/–(तीन करोड़ पंचानवे लाख नब्बे हजार नौ सौ पैसठ) रूपये है। विशेष निगरानी इकाई की गणना की विवरणी मनगढ़ंत, अतार्किक, तथ्यहीन,

बेबुनियाद व सत्य से परे है। विशेष निगरानी इकाई का आरोप कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 का उल्लंघन किया है, बिल्कुल असत्य, भ्रामक, तथ्यहीन, अदूरदर्शी, मनगढ़ंत एवं अतार्किक है।

श्री मणिरंजन द्वारा समर्पित अभिकथन की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि श्री मणिरंजन के विरूद्ध आय के ज्ञात स्त्रोतों से 1,62,36,926/–(एक करोड़ बासठ लाख छत्तीस हजार नौ सौ छब्बीस) रूपये अप्रत्यानुपातिक धनार्जन किया गया है, जो वैध स्त्रोत से प्राप्त आय का लगभग 165 प्रतिशत है। श्री मणिरंजन द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर आय से अधिक सम्पत्ति नाजायज एवं भ्रष्ट तरीके से अर्जित किया गया है।

उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत श्री मणिरंजन से आरोप पत्र पर प्राप्त अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए श्री मणिरंजन का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाये जाने एवं आरोपों की गंभीर प्रकृति होने के कारण विभागीय कार्यवाही का संचालन मुख्य जाँच आयुक्त को सुपुर्द किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् विभागीय संकल्प सं0–2792 दिनांक–02.06.2022 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के लिए मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8'ए' को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना–सह–जॉच आयुक्त के पत्रांक–135 दिनांक–23.01.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही का अंतिम जॉच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष निम्नवत् है:–

संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मणिरंजन के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन तथा गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के उपरांत निष्कर्षित किया है कि श्री मणिरंजन द्वारा भिन्न–भिन्न आय–व्यय एवं बचत की विवरणी प्रस्तुत की गयी है, जो स्वयं में विरोधाभाषी है। श्री मणिरंजन अपनी पत्नी और स्वयं के सभी स्त्रोतों से सम्मिलित सम्पूर्ण आय का विवरण अंतिम रूप से 4,81,13,800/– (चार करोड़ इक्यासी लाख तेरह हजार आठ सौ) रूपये अंकित किया है, जिसमें अपनी पत्नी का आय कुल–3,10,10,344/– (तीन करोड़ दस लाख दस हजार तीन सौ चौवालीस) रूपये दिखाया गया है, परंतु श्री मणिरंजन द्वारा अपनी पत्नी की वास्तविक आय से संबंधित कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। दूसरी ओर श्री मणिरंजन ने स्वयं के वेतन तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय कुल 1,71,03,456/– (एक करोड़ एकहत्तर लाख तीन हजार चार सौ छप्पन) रूपये दर्शाया है, जबकि विशेष निगरानी इकाई के द्वारा श्री मणिरंजन के वैध स्त्रोतों से प्राप्त आय लगभग 98,00,000/– (अन्ठान्वे लाख) रूपये आकलित की गई है। श्री मणिरंजन द्वारा अंकित राशि तथा विशेष निगरानी इकाई द्वारा श्री मणिरंजन के आय की आकलित राशि का अंतर 73,03,456/– (तिहत्तर लाख तीन हजार चार सौ छप्पन) रूपये होता है, परंतु श्री मणिरंजन

अन्तर राशि के वैध स्त्रोतों का सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है, जबकि आरोप के संदर्भ में सबूत का बोझ (Burden of Proof) आरोपित पदाधिकारी/कर्मी का होता है। श्री मणिरंजन द्वारा अपने परिवार को संयुक्त परिवार बताया गया है परंतु इस संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि इनका संयुक्त परिवार हिन्दु अनडिभाइडेड फैमिली की श्रेणी में आता है। जहाँ तक उनके भाई द्वारा उनके पत्नी के फ्लैट में परिवार सहित निवास करने का प्रश्न हैं, के संबंध में कोई वैधानिक कागजात/समझौता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि पटना स्थित फ्लैट का उपयोग इनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। पटना स्थित फ्लैट से बरामद संपति विशेषकर नगद राशि रू0 38,70,000/– एवं जेवरात रू0 6,84,264/– जिसका सम्मिलित मूल्य रू0 45,54,264/– विशेष निगरानी इकाई द्वारा आकलित किया गया है, का खंडन श्री मणिरंजन द्वारा यह कहते हुए किया गया है कि यह राशि उनके भाई की है परन्तु इस तथ्य का प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है कि संपति उनके भाई की है और न ही इतनी बड़ी राशि के आय के स्त्रोत का वर्णन उनके द्वारा किया गया है। श्री मणिरंजन ने बैंकिंग स्टेटमेंट के आधार पर पत्नी सुनीता का वर्ष 2010–11 से 2021–22 तक कुल आय की विवरणी में विविध नातेदारों से 97,85,895/– (सन्तानवे लाख पचासी हजार आठ सौ पन्चानवे) रूपये लोन लेने का उल्लेख किया है, परंतु इतनी बड़ी मात्रा में नातेदारों से लोन लेने से संबंधित कोई वैधानिक साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इतनी बडी राशि का सम्व्यवहार बिना किसी वैधानिक साक्ष्य/दस्तावेज के आलोक में किया जाना स्वयं में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है। दूसरी ओर श्रीमती सुनीता का वर्षवार एवं मदवार कुल आय की विवरणी में वर्ष 2018–19 में उनकी आय 1,98,96,505/– (एक करोड़ अन्ठानवे लाख छियानवे हजार पाँच सौ पाँच) रूपये दर्शाया गया है, परन्तु उक्त 01 वर्ष में इतनी वृहद पैमाने पर प्राप्त की गई आय का वैधानिक स्त्रोत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ यह भी अंकित करना प्रासंगिक है कि श्री मणिरंजन और उनके नातेदारों द्वारा cash in hand का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इतनी बड़ी राशि का नकद के रूप में पाये जाने के संदर्भ में न तो उन सभी के द्वारा कोई ठोस कारण अंकित किया गया है और न ही राशि के स्त्रोत का वर्णन किया गया है। अतः श्री मणिरंजन का लिखित अभिकथन/बचाव बयान ठोस साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित गठित आरोप पत्र में सभी आरोप को प्रमाणित किया गया है।

"फलतः उभयपक्षों की दलीलों, गवाह के बयान के परिशीलन, उपलब्ध अभिलेखों एवं उपर्युक्त समीक्षा से ठोस साक्ष्यों के अभाव में श्री मणिरंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक,

समस्तीपुर के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित गठित आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप प्रमाणित होता है।"

तदोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर विभागीय पत्रांक–878 दिनांक–25.02.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

श्री मणिरंजन के द्वारा समर्पित बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन/निवेदन दिनांक–19.06.2025 में उनके द्वारा बताया गया है कि विशेष निगरानी इकाई द्वारा आकलित सभी आरोप अनुसंधानांतर्गत होने के कारण अनुसंधान के उपरांत यह स्पष्ट होगा कि उनके विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का मामला बनेगा या नहीं? जाँच आयुक्त ने बिना जाँच किये, बिना पत्रों के अवलोकन किये, बिना परीक्षण व प्रतिपरीक्षण पर विचार किये एवं बिना उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अध्ययन किये जाँच प्रतिवेदन में यह एकतरफा निर्णय ले लिया गया है कि उनके द्वारा स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उनके विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी सं0–06/2021 का आधार पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई की आसूचना में कई प्रकार की त्रूटि विद्यमान है। उनके विरूद्ध अवैध धनार्जन का आरोप सिर्फ अनुमान के आधार पर आकलित डाटा के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया गया है जबकि उनके आय के स्त्रोत में बैंक ऋण को शामिल नहीं किया गया है। आय एवं व्यय की गणना में तथ्यात्मक जाँच के बजाय अनुमान को प्राथमिकता दी गयी है। जाँच आयुक्त द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में न तो कंडिकावार अपना मंतव्य दिया है और न ही लिखित बयान का कंडिकावार खण्डन किया है। उनके द्वारा विशेष निगरानी इकाई द्वारा लगाया गया आकलित आरोप बेबुनियाद बताते हुए उन्हे आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मणिरंजन के बचाव बयान/अभ्यावेदन/निवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में कोई भी नया तथ्य उल्लेखित नहीं किया है। उन्होने अपने बचाव बयान में उन्ही तथ्यों को पुनः उल्लेखित किया है, जो तथ्य उन्होने संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त के समक्ष रखा था जिसका विचारण पूर्व में ही किया जा चुका है। संचिका के अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा परिसम्पत्ति अर्जित करने अथवा उसके निवटाव करने से पूर्व विभाग को लिखित रूप से कोई जानकारी नहीं दी गयी। संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त द्वारा पुर्ण जाँचोपरांत आरोपी पदाधिकारी श्री मणिरंजन का लिखित अभिकथन/बचाव बयान ठोस साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित गठित आरोप पत्र में सभी आरोप को प्रमाणित किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना के

आदेश पत्रांक–6268 दिनांक–29.06.2021 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा। उक्त आदेश में यह भी वर्णित है कि सरकारी सेवक द्वारा अचल सम्पत्ति (जमीन, मकान, फ्लैट, गाड़ी आदि) क्रय/विक्रय किये जाने की स्थिति में यदि ऐसा सम्व्यवहार किसी नियमित या ख्याति प्राप्त से की जा रही हो तब ऐसा सम्व्यवहार के एक माह के अन्दर इसकी सूचना विहित प्राधिकार को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यदि ऐसा सम्व्यवहार किसी नियमित या ख्याति प्राप्त से नहीं की जा रही हो तो विहित प्राधिकार से ऐसा सम्व्यवहार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही वास्तविक क्रय/विक्रय किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–18119 दिनांक–26.09.2023 द्वारा जारी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (समय–समय पर यथासंशोधित) का Master Circular के साथ संलग्न बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (समय–समय पर यथासंशोधित) की नियम 19(2) में स्पष्टतः अंकित है कि कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा। उपरोक्त नियमावली के नियम 19(6) में वर्णित है कि यदि किसी सरकारी सेवक के पास ऐसे आर्थिक साधन स्रोत या ऐसी सम्पत्ति पाई जाए जो उसके ज्ञात आय–स्रोतों के अनुपात से अधिक हो और जिसका वह संतोषजनक हिसाब न दे सके, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए तब तक यह माना जाएगा कि वह अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार का दोषी है, जिसके लिए उस पर विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ दांडिक वाद भी चलाया जा सकेगा।

उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन/निवेदन के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित 2007 के नियम–14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक–5821 दिनांक–08.10.2025 एवं पत्रांक–444 दिनांक–20.01.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के अभिमत की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4408 दिनांक–05.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–22.01.2026 को आहुत आयोग की पूर्णपीठ की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करता है।

(5) (22)

तदोपरांत श्री मणिरंजन को सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड के निर्णय पर विचार हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–08.06.2026 को मद संख्या–12 के रूप में विभागीय दंड प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में श्री मणिरंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर सम्प्रति अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(xi) के तहत् सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0(राज0नि0)–1–108/2021–...../पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0(राज0नि0)–1–108/2021–...../पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0(राज0नि0)–1–108/2021–3713/पटना, दिनांक–17.06.26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री मणिरंजन, अवर निबंधक, सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया सम्प्रति–प्रतिनियुक्त, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/6/2026
सरकार के संयुक्त सचिव

17/6/26